

29/5/24

पत्रावली पोस्ट द्वारा न्यायालय सभ्य में
बा-बाट आवाजे लगाए गई परन्तु
बादीया व उनके अधिवक्ता कोई उपाधिक
नहीं हुए। लिहाजा प्रकरण अदम पैथी।
कदम हाजरी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुभा हो कर सम्बन्ध
से इस हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



~~wp-~~
सहायक कलेक्टर
(स.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

